राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील आबकारी संख्या – 1896/2013/चुरू

1.जगदीश पुत्र श्री अमर सिंह, रामपुरा,
तहसील–सुजानगढ़, जिला–चुरू।
2.महेन्द्र सिंह, पुत्र श्री बजरंग सिंह,
तहसील–सुजानगढ़, जिला–चुरू। ......अपीलार्थीगण.

बनाम

जिला आबकारी अधिकारी, चुरू। ....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य.
श्री अमर सिंह, सदस्य.

उपस्थित : :
श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक ।
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक। ....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अधिवक्ता ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.05.2014

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर (जिसे आगे "आबकारी आयुक्त" कहा जायेगा) के आदेश क्रमांक प–29(बी)/अपील/14/आब/2013/1423 दिनांक 17.10.2013 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'आबकारी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9ए के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान नम्बर 124, धातरी, ग्राम पंचायत–जागिया, तहसील–सुजानगढ़ वर्ष 2011–2012 के लिये अनुज्ञापत्रधारी हैं जिसे वर्ष 2012–13 व 2013–14 के लिये जरिये अनुज्ञापत्र क्रमांक आब/दे.म. बंदो/2012–13–14/662 दिनांक 14.02.2012 के लिये नवीनीकृत किया गया। उक्त दुकान का दिनांक 05.09.2013 को आबकारी निरीक्षक, वृत सुजानगढ़ द्वारा सेल्समैन लालचन्द पुत्र श्री सुगनाराम की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर दुकान में 40 पव्वे "बैगपाईपर विहस्की" के भरे हुये पाये गये जिनके ढक्कन लूज थे तथा उक्त पव्वों में भरी शराब का रंग भी धुंधला था एवम् उक्त पव्वों के रेपर पुराने व घिसे हुये थे जिन पर मार्च 2013 से जुलाई 2013 तक के बैच क्रमांक अंकित थे। इस प्रकार आबकारी निरीक्षक द्वारा उक्त पव्वों में अधिकृत बैगपाईपर विहस्की से भिन्न होकर अनाधिकृत व नकली शराब से भरा हुआ अवधारित किया गया । इसी प्रकार एक अन्य कॉटर्न में 30 पव्वे "ऑफिसर चॉयस व्हिस्की" "फॉर सेल इन राजस्थान ओनली" भी पाये गये जिनके ढक्कन लूज थे, पव्वों में भरी शराब का रंग भी धुंधला था एवम् उक्त पव्वों के रेपर पुराने व घिसे हुये थे जिन पर निर्माता कम्पनी मैसर्स ग्लोबस स्प्रिट्स लि., 201–202 मार्का अंकित थे। इसी प्रकार

लगातार.................2

<u>अपील आबकारी संख्या — 1896/2013/चुरू</u>

अन्य कॉर्टन में 30 पव्वे देशी शराब से भरे हुये बिना लेबल के आर.एस.जी.एस.एम. के लाल रंग के ढक्कन लगे हुये बरामद किये गये। आबकारी निरीक्षक द्वारा दुकान से उपर्युक्तानुसार वर्णित बरामद शराब के पव्वे में से बैगपाईपर व्हिस्की, ऑफीसर चॉयस व आर.एस.जी.सी.एम देशी मदिरा के नमूने पव्वे वास्ते रसायनिक जांच एवम् संबंधित ईकाईयों से जांच हेतु गवाहान/हाजिरान की दस्तखती चिटों से सील मोहर कर कब्जे राज लिये जाकर रसायिनक जांच हेतु आबकारी निरीक्षक द्वारा भेजे जाने पर संबंधित ईकाईयों द्वारा जरिये पत्रांक 343 दिनांक 06.09.2013, 310 दिनांक 16.09.2013 द्वारा दुकान में पायी गयी मदिरा नकली पायी गयी। आबकारी निरीक्षक, अनुज्ञापत्रधारी की दुकान में अनाधिकृत रूप से पायी गयी मदिरा व अनुज्ञापत्र में अंकित शर्तों के उल्लंघन के कारण सेल्समेन लालाचन्द व अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 58(C), 16/54, 19/54 के तहत् आबकारी वृत्त–सुजानगढ़ में अभियोग दर्ज किया गया। जिला आबकारी अधिकारी, चुरू (जिसे आगे "आबकारी अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा आबकारी निरीक्षक द्वारा ज्बत की गयी मदिरा के संबंध में संबंधित ईकाईयों से करवायी गयी जांच रिपोर्ट जो आबकारी अधिकारी को जरिये पत्रांक 463 दिनांक 25.09.2013 के प्राप्त हुयी के आधार पर अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 6.4, 5.9, 7.1 तथा भा.नि.वि.म. एवम् बीयर खुदरा अधिनियम की धारा 34 सपठित नियम 76 राजस्थान आबकारी नियम 1956 के तहत् अनुज्ञाधारी अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में अनुज्ञापत्रधारी अपीलार्थीगण द्वारा समय–समय पर स्थगन हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात्, दिनांक 27.09.2013 को आबकारी अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब, आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रेषित की गयी जांच रिपोर्ट दिनांक 25.09.2013 व समस्त तथ्यामक व दस्तोवजों के आधार पर अनुज्ञापत्रधारी अपीलार्थीगण द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 6.4, 5.9, 7.1 तथा भा.नि.वि.म. एवम् बीयर खुदरा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 5.4 व 5.7 का उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर आबकारी अधिकारी की धारा 34 सपठित नियम 76(सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञाधारी अपीलार्थीगण की जमा धरोहर राशि जब्त सरकार कर, अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के संबंध में आदेश दिनांक 27.09.2013 पारित किया गया व आलोच्य अवधि में शेष रही अवधि के लिये निरस्त किये गये अनुज्ञात्र के संबंध में जरिये विज्ञप्ति संख्या आब/बंदो/11–12/1581 दिनांक 27.09.2013 के मदिरा के विक्रय एवम् संचालन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये । <u>**अनुज्ञाधारी अपीलार्थीगण द्वारा आबकारी अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 29.7.2010 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय**</u>

लगातार................3

जोधपुर में प्रस्तुत की गई एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12380/2013 में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.10.2013 से अपीलार्थीगण को विवादित आदेश दिनांक 27.09.2013 के विरूद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील पेश करने एवं आबकारी आयुक्त को उक्त अपील विधिक प्रावधानों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर *सात दिवस* में निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। अपीलार्थीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना में आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापत्र अपीलार्थीगण की सुनवाई एवं आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2013, प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द जब्ती व ग्लोब्स स्प्रिट की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.09.2013, यूनाईटेड स्प्रिट लि., अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.09.2013, आबकारी प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट दिनांक 06.09.2013 व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2013 के अवलोकन करने के बाद पारित किये गये आदेश दिनांक 17.10.2013 द्वारा अनुज्ञापत्रधारी अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार की कर दी गयी। अपीलार्थीगण द्वारा आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अधिनियम की धारा 9ए के तहत् यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर **कथन किया कि उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 19.08.2013 को जारी की गयी है जबकि अपीलार्थी के दुकान का निरीक्षण दिनांक 05.09.2013 को किया गया है, यह कैसरे संभव है कि निरीक्षण से पूर्व यूनाईटेड स्पिरिट लि., अलवर द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी है । अपने कथन के समर्थन में उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 19.08.2013 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी। कथन किया कि उक्त फर्जी रिपोर्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्ज जांच रिपोर्ट को पत्रावली से हटा दिया गया है ।**

गुणावगुण पर का कथन है कि अपीलार्थीगण द्वारा विधिक रूप से अनुज्ञापत्र स्वीकृत दुकान पर वर्षों से मदिरा का विक्रय किये जाने के दौरान अवैध शराब बिक्री सम्बन्धी कोई गलती नहीं की थी, परन्तु आबकारी निरीक्षक द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही दुर्भावाना पूर्वक की गयी थी। कथन किया कि ज्बती की गयी कार्यवाही अपीलार्थी अनुज्ञात्रधारी की उपस्थिति में नहीं की गयी एवम् न ही की गयी कार्यवाही से अपीलार्थी अनुज्ञात्रधारी को अवगत ही कराया गया । कथन किया कि आबकरी अधिकारी द्वारा नमूनें पव्वों की जांच रिपोर्ट संबंधित डिस्टलरी से करवाकर प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिनांक 11.09.2013 को दिये गये परन्तु आबकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.09.2013 को

ही नमूनों की जांच स्वयम् के स्तर पर करवायी गयी जो विधिसम्मत नहीं है एवम् उक्त कार्यवाही केवल दुर्भावना को स्पष्ट इंगित करती है। कथन किया कि यूनाईटेड स्प्रिट लि., एम.अई.ए.अलवर द्वारा जो जांच रिपोर्ट आबकारी निरीक्षक को दिनांक 19.08.2013 को भिजवायी गयी वह जब्त मदिरा अपीलार्थीगण अनुज्ञापत्रधारी की दुकान से संबंधित नहीं थी एवम् उक्त तथ्य का पता लगते ही उक्त जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड पत्रावली से हटा दिया गया । इससे स्पष्ट है कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्रवाई गलत एवं बेबुनियाद है तथा उनसे व्यापारिक रंजिश रखने वाले व्यक्ति से मिलीभगत कर सोची समझी साजिश के तहत की गई है। कथन किया कि जब्ती की गयी कार्यवाही के संबंध में स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर के बिना मौका रिपोर्ट बनाई जाकर अपीलार्थीगण के विरूद्ध झूठी कार्यवाही की गयी है । ऐसी स्थिति में आबकारी अधिकारी द्वारा अभियोग दर्ज कर, अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने संबंधी आदेश की पुष्टि करने में आबकारी आयुक्त द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है । अतः आबकारी आयुक्त का निर्णय दिनांक 17.10.2013 का अपास्त कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा आबकारी आयुक्त के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि आबकारी विभाग के निरीक्षक द्वारा अपीलार्थीगण के अधिकृत सेल्समैन की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया था। कथन किया कि आबकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के तहत अनुज्ञाधारी की स्वीकृतशुदा दुकान की जांच के समय नकली मदिरा पाये जाने पर अनुज्ञाधारी के विरूद्ध कार्रवाई कर, विधिक रूप से जारी अनुज्ञापत्र को निरस्त किया गया है जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत् पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अनुज्ञापत्र की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण आबकारी अधिकारी द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उसके पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र दिनांक 14.02.2012 को वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 की शेष अवधि के लिये राज्यहित में निरस्त किया गया। आबकारी आयुक्त द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण अनुज्ञापत्रधारी को सुना गया तथा आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2013, प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द जब्ती व ग्लोब्स स्प्रिट की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.09.2013, यूनाईटेड स्प्रिट लि., अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.09.2013, आबकारी प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट दिनांक 06.09.2013 व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2013 के परीक्षण करने के पश्चात जारी किया गया है तथा पूर्णतया विधिसम्मत एवं उचित है। अतः प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

लगातार................5

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में निर्णय से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अभिभाषकगण द्वारा उठायी गयी आपत्ति के संबंध में मैसर्स यूनाईटेड स्प्रिट्स लि., अलवर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट दिनांक 19.08.2013 व जांच रिपोर्ट दिनांक 20.09.2013 का सूक्ष्म रूप से अवलोकन व अध्ययन किया गया । इस संबंध में जांच रिपोर्ट दिनांक 19.08.2013 व दिनांक 20.09.2013 में दिये गये निष्कर्ष/टिप्पणी (observations) इस प्रकार हैः–

<u>"We have checked the samples and our observations are as under"-</u>

1- **<u>The labels affixed on the said Nips are original i.e. same as the Labels of our distillery but the P.P. Seal is duplicate. The P.P. caps of the said samples are loose and rotating, hence false and imitated.</u>**

2. **<u>On testing the strength of liquor filled in above referred Nips found to be 42UP/41.UP but we produce Bagpiper whisky of 25UP strength as per Rajasthan Excise Rules.</u>**

<u>Moreover there is dirt/Hazyness also observed in the said Nips. Apart from this sensory profile of above said nips of Bagpiper does not match with Bagpiper whisky which is being produced by us. Hence these nips neither produced by us nor supplied by us".</u>

उक्त निष्कर्ष दोनों जांच रिपोर्ट दिनांक 19.08.2013 व दिनांक 20.08.2013 पर समान है एवम् उक्त निष्कर्षों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। यह भी विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि दोनों जांच रिपोर्ट प्रकरण संख्या–09 दिनांक 05.09.2013 के कम में मैसर्स यूनाईटेड स्प्रिट्स लि., अलवर द्वारा जारी की गयी है । अतः अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषकगण का यह तर्क कि उक्त जांच रिपोर्ट प्रकरण दर्ज करने से पूर्व अर्थात् दिनांक 05.09.13 से पूर्व ही उसके विरूद्ध दुर्भावानावश तैयार करवायी गयी है विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अतः यह पीठ यह अवधारित करती है कि उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 19.08.2013 में मात्र दिनांक की टंकण त्रुटि है है जिसके आधार पर यह अवधारित करना उचित नहीं है कि दुर्भावनावश दो जांच रिपोर्ट बनवायी गयी है । अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति पूर्णतः निराधा होने के कारण अस्वीकार की जाती है ।

लगातार.................6

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि चुरू जिले के 2012–13 व 2013–14 के आबकारी बन्दोबस्त के तहत अपीलार्थीगण अनुज्ञापत्रधारी को स्वीकृत देशी मदिरा दुकान समूह सं. 124 ग्राम व पोस्ट जोगलिया का दिनांक 05.09.2013 को आबकारी निरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 47 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सेल्समेन की उपस्थिति में निरीक्षण एवं तलाशी लेने की कार्यवाही की गई थी। जिसमें दुकान में 40 पव्वे "बैगपाईपर विहस्की" के भरे हुये पाये गये जिनके ढक्कन लूज थे तथा उक्त पव्वों में भरी शराब का रंग भी धुंधला था एवम् उक्त पव्वों के रेपर पुराने व घिसे हुये थे जिन पर मार्च 2013 से जुलाई 2013 तक के बैच क्रमांक अंकित थे। इस प्रकार आबकारी निरीक्षक द्वारा उक्त पव्वों में अधिकृत बैगपाईपर विहस्की से भिन्न होकर अनाधिकृत व नकली शराब से भरा हुआ अवधारित किया गया । इसी प्रकार एक अन्य कॉटर्न में 30 पव्वे "ऑफिसर चॉयस व्हिस्की" "फॉर सेल इन राजस्थान ओनली" भी पाये गये जिनके ढक्कन लूज थे, पव्वों में भरी शराब का रंग भी धुंधला था एवम् उक्त पव्वों के रेपर पुराने व घिसे हुये थे जिन पर निर्माता कम्पनी मैसर्स ग्लोबस स्प्रिटि्स लि., 201–202 मार्का अंकित थे। इसी प्रकार अन्य कॉर्टन में 30 पव्वे देशी शराब से भरे हुये बिना लेबल के आर.एस.जी.एस.एम. के लाल रंग के ढक्कन लगे हुये बरामद कर, अभियोग संख्या 09 दिनांक 05.09.2013 अधिनियम की धारा 16/54, 19/54 में दर्ज किया गया था। आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलार्थी अनुज्ञाधारी की उक्त अनियमितताओं एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन के लिये प्रार्थी को उनकी लागत एवं जोखिम पर अनुज्ञापत्र निरस्त करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया था । आबकारी अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान अपीलार्थी अनुज्ञापत्रधारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 34(1)(सी) एवं नियम 1956 के नियम 76(सी) तथा अनुज्ञाधारी को जारी अनुज्ञापत्र की शर्तों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अनुज्ञाधारी द्वारा जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए उसकी लागत और जोखिम पर अनुज्ञापत्र वर्ष 2012–13 व 2013–14 की शेष अवधि के लिये निरस्त करने का आदेश पूर्णतया विधिसम्मत एवं उचित है। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने के पश्चात विधिक प्रावधानों के **अनुरूप कार्यवाही करते हुए देशी मदिरा खुदरा विक्रय की दुकान वर्ष 2012–13 व 2013–14की शेष अवधि के लिये आवंटित करते हुए अनुज्ञापत्र जारी किया गया।**

आबकारी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष

लगातार.................7

प्रस्तुत अपील में उसे सुना गया है तथा आबकारी आयुक्त द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण अनुज्ञापत्रधारी को सुना गया तथा आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2013, प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द जब्ती व ग्लोब्स स्प्रिट की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.09.2013, यूनाईटेड स्प्रिट लि., अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.09.2013, आबकारी प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट दिनांक 06.09.2013 व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2013 के परीक्षण करने के पश्चात जारी किया गया है तथा पूर्णतया विधिसम्मत एवं उचित है। अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी अनुज्ञापत्रधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात विधिवत् रूप से आदेश पारित करते हुए अपील अस्वीकार की गई है। ऐसी स्थिति में, आबकारी आयुक्त के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 17.10.2013 में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हम इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी अनुज्ञापत्रधारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर आबकारी आयुक्त उदयपुर के आदेश दिनांक 17.10.2013 को यथावत रखा जाता ळें

परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

9-5-14 | 9.5.2014
(अमर सिंह)
सदस्य | (मदन लाल)
सदस्य